Powers of Tariff Advisory Committee regarding premium rates and conditions of insurance

1100. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the organisation that deals with premium rates and conditions of insurance;

(b) the powers of Tariff Advisory Committee in this regard; and

(c) the future of the insurance business?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) and (b) Tariff Advisory Committee (TAC) established under Section 64 U of the Insurance Act, 1938 is the authority to control and regulate the rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business.

In terms of Section 64 UC of the Insurance Act, 1938 the TAC may from time to time and to the extent it deems expedient, control and regulate the rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of any risk or of any class or category of risks, the rates, advantages, terms and conditions of which, in its opinion, it is proper to control and regulate, and any such rates, advantages, terms and conditions shall be binding on all insurers.

(c) Regarding future of the insurance business in India, the Common Minimum Programme (CMP) of the Government lays down that—

"There is room for Public Sector Companies and private sector companies to co-exist and compete in the financial sector. We have gained considerable experience in the working of the banking sector. The said experience will be applied to the restructuring of the insurance industry, but at the same time, public sector companies like LIC, GIC etc. will be strengthened."

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रशासनिक खर्च

1101. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1996 को दैनिक "इकोनामिक टाइम्स" में "चिदम्बरम बैंक्स शुड स्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रशासनिक खर्च अन्य बैंकों की तुलना में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(क) वर्ष, 1996 के अन्त को समाप्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के व्यय के आंकड़ों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
प्रचालन व्यय (कुल व्यय की तुलना में स्थापना व्यय का प्रतिशत सहित)	15135 (28.00%)	1130 (23.42%)	1324 (24.80%)
कुल व्यय की तुलना में स्थापना व्यय का प्रतिशत	11136 (20.60%)	653 (13.53%)	466 (08.73%)
कुल आय की तुलना में स्थापना व्यय का प्रतिशत	11136 (20.75%)	653 (12.18%)	466 (07.65%)

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान

1102. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए लगभग 40,000 करोड़ रुपए मूल्य के अग्रिम ऋणों का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या-क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त राशि का एक बड़ा भाग बड़े और मझौले औद्योगिक क्षेत्रों के पास पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो बड़े व मझोले औद्योगिक क्षेत्रों के पास कितनी-कितनी राशि पड़ी हुई है और लघु तथा कृषि क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि होने का अनुमान है?